

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता सं. 6 के अधीन प्लॉट सं. 141, और 87, कुल रकबा - 02.00 एकड़ और के तहत ग्राम: सिधालु, थाना:पिपरवार जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी श्री सुनील प्रसाद गुप्ता पिता- श्री मदन साव से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: सिधालु, थाना: पिपरवार जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी श्री सुनील प्रसाद गुप्ता पिता श्री मदन साव के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

Cyiam
13/11